

हरियाणा विधान सभा

सोमवार, 22 दिसम्बर, 2025 को 11.00 बजे प्रातः विधान भवन, चण्डीगढ़ में हरियाणा विधानसभा के हाल में होने वाली हरियाणा विधान सभा की बैठक की कार्यसूची।

I. प्रश्न।

पृथक सूची में दर्ज प्रश्न पूछे जाएंगे तथा उत्तर दिए जाएंगे।

II. शून्य काल।

III. नियम 15 के अधीन प्रस्ताव।

एक मंत्री

प्रस्ताव करेंगे कि आज के लिए निश्चित की गई कार्य की मदों पर की कार्यवाही को आज की बैठक में अनिश्चित काल तक नियम “सभा की बैठकें” के उपबंधों से मुक्त किया जाए।

IV. नियम 16 के अधीन प्रस्ताव।

एक मंत्री

प्रस्ताव करेंगे कि सभा अपनी आज की बैठक से उठने पर अनिश्चित काल तक के लिए स्थगित रहेगी।

V. नेवा पोर्टल के माध्यम से सदन की मेज पर रखे जाने वाले कागज-पत्र।

1.	एक मंत्री	बिजली अधिनियम, 2003 की धारा 182 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार, ऊर्जा विभाग की अधिसूचना/विनियमन संख्या एच.ई.आर.सी./24/2014/ 6 वां संशोधन/2025, दिनांक 25 जुलाई, 2025 को मेज पर रखेंगे।
2.	एक मंत्री	बिजली अधिनियम, 2003 की धारा 182 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार, ऊर्जा विभाग की अधिसूचना/विनियमन संख्या एच.ई.आर.सी./54/द्वितीय संशोधन/2025, दिनांक 30 अक्टूबर, 2025 को मेज पर रखेंगे।
3.	एक मंत्री	कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 395 (1) (ख) के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार, वर्ष 2021-2022 के लिए हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड की वार्षिक रिपोर्ट मेज पर रखेंगे।
4.	एक मंत्री	विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 18(6) के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार वर्ष 2021-2022 के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अम्बाला की वार्षिक लेखे तथा लेखापरीक्षा रिपोर्ट मेज पर रखेंगे।
5.	एक मंत्री	विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 18(6) के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार वर्ष 2022-2023 के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अम्बाला की वार्षिक लेखे तथा लेखापरीक्षा रिपोर्ट मेज पर रखेंगे।
6.	एक मंत्री	विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 18(6) के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार वर्ष 2023-2024 के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अम्बाला की वार्षिक लेखे तथा लेखापरीक्षा रिपोर्ट मेज पर रखेंगे।
7.	वित्त मंत्री	भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के खण्ड (2) के उपबंधों के अनुसरण में हरियाणा सरकार के वर्ष 2020-2021 में शहरी स्थानीय निकायों (यू.एल.बी.) तथा पंचायती राज संस्थानों (पी.आर.आई.) के लेखों पर स्थानीय लेखापरीक्षा विभाग की वार्षिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट मेज पर रखेंगे।

8.	वित्त मंत्री	भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के खण्ड (2) के उपबंधों के अनुसरण में हरियाणा सरकार की वर्ष 2024-25 के वित्त लेखों (खण्ड -I तथा II) को मेज पर रखेंगे।
9.	वित्त मंत्री	भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के खण्ड (2) के उपबंधों के अनुसरण में हरियाणा सरकार की वर्ष 2024-25 के विनियोग लेखों को मेज पर रखेंगे।

VII. विधायी कार्य।

(i) (पुरःस्थापित, विचार तथा पारित किए जाने वाला विधेयक)

1.	हरियाणा विनियोग (संख्या 4) विधेयक, 2025	एक मंत्री	हरियाणा विनियोग (संख्या 4) विधेयक को पुरःस्थापित करेंगे; प्रस्ताव करेंगे कि हरियाणा विनियोग (संख्या 4) विधेयक पर तुरंत विचार किया जाए; यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाए।
----	---	-----------	--

(ii) (विचार तथा पारित किए जाने वाले विधेयक)

1.	हरियाणा तकनीकी शिक्षा अतिथि संकाय (सेवा की सुनिश्चितता) संशोधन विधेयक, 2025	एक मंत्री	प्रस्ताव करेंगे कि हरियाणा तकनीकी शिक्षा अतिथि संकाय (सेवा की सुनिश्चितता) संशोधन विधेयक पर तुरंत विचार किया जाए; यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाए।
2.	हरियाणा आवासन बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 2025	एक मंत्री	प्रस्ताव करेंगे कि हरियाणा आवासन बोर्ड (संशोधन) विधेयक पर तुरंत विचार किया जाए; यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाए।
3.	हरियाणा निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2025	एक मंत्री	प्रस्ताव करेंगे कि हरियाणा निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक पर तुरंत विचार किया जाए; यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाए।
4.	हरियाणा आबादी देह (स्वामित्व अधिकारों का निहितीकरण, अभिलेखन और समाधान) विधेयक, 2025	एक मंत्री	प्रस्ताव करेंगे कि हरियाणा आबादी देह (स्वामित्व अधिकारों का निहितीकरण, अभिलेखन और समाधान) विधेयक पर तुरंत विचार किया जाए; यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाए।
5.	हरियाणा दुकानात तथा वाणिज्यिक प्रतिष्ठान (संशोधन) विधेयक, 2025	श्रीमती पूजा, एम.एल.ए.	प्रस्ताव करेंगे कि यह सदन हरियाणा दुकानात तथा वाणिज्यिक प्रतिष्ठान (संशोधन) अध्यादेश,2025 (2025 का हरियाणा अध्यादेश संख्या 4),11 नवम्बर, 2025 को हरियाणा के

		एक मंत्री	राज्यपाल द्वारा यथा लागू का निरनुमोदन करता है। प्रस्ताव करेंगे कि हरियाणा दुकानात तथा वाणिज्यिक प्रतिष्ठान (संशोधन) विधेयक पर तुरंत विचार किया जाए; यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाए।
6.	हरियाणा अनुसूचित सड़क तथा नियंत्रित क्षेत्र अनियमित विकास निर्बन्धन (संशोधन) विधेयक, 2025	एक मंत्री	प्रस्ताव करेंगे कि हरियाणा अनुसूचित सड़क तथा नियंत्रित क्षेत्र अनियमित विकास निर्बन्धन (संशोधन) विधेयक पर तुरंत विचार किया जाए; यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाए।
7.	हरियाणा जन विश्वास (उपबन्धों का संशोधन) विधेयक, 2025	एक मंत्री	प्रस्ताव करेंगे कि हरियाणा जन विश्वास (उपबन्धों का संशोधन) विधेयक पर तुरंत विचार किया जाए; यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाए।

VIII. चुनाव सुधारों से संबंधित प्रस्ताव पर नियम 84 के अधीन चर्चा ।

1. श्री राम कुमार कश्यप, एम.एल.ए., 2. श्री योगीन्द्र सिंह राणा, एम.एल.ए. ।	प्रस्ताव करेंगे- “कि मतदाता सूची बनाने से संबंधित चल रहे चुनाव सुधारों से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा की जाए।”
---	---

चण्डीगढ़:
21 दिसम्बर, 2025.

राजीव प्रसाद,
सचिव।